

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यम् व जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL



M 732173
इयामा कान्त शर्मा
मुद्रोक दिनांक
वा. दि. १५.६.२०१४



"प्रारूप-26"
(नियम 4 के देखिए)



36. गदानाबाद निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) श्री रघु भग्ना
(सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र।

भाग-क

मैं - पन्ज शुभण शर्मा

पुत्र/पुत्री/पत्नी २९० अंड बिहारी बागी

आयु 64

वर्ष, जो शास्त्रीनगर, मखदुमाबाद, जौह-गढ़नाबाद

पाठा - गदानाबाद, जिला - गदानाबाद

(डाक का

पूरा पता लिख) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से
प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ -

क्रमशः



- (1) मैं ज्ञाम खाद्यभी पाटी (राजनैतिक दल का नाम)
द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/एक स्वतंत्र अभ्यार्थी के रूप में लड़ रहा है।
(जो लागू न हो उसे काट दें)
- (2) मेरा नाम 216, नहानाबाद, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और
राज्य का नाम) में भाग सं- २१० के क्रम सं३२९
पर प्रविष्ट है।
- (3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं०९४३१० ८४८४७ है।
मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) cbsharma@gmail.com है।
एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (यदि कोई हो) www.facebook.com/cb.sharma.48 है।
- (4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की
प्रास्थिति –

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपय में)
1.	स्वयं	AJLPS 8520P	2012-13	1355454 —
2.	श्रीमति द्वयोर्जुना शर्मा प्रक्षिणी पल्ली	DKDPS 5704K	2012-13	शुन्म
3.	आश्रित - 1	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
4.	आश्रित - 2	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
5.	आश्रित - 3	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं



(5). मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं। यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध(अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी-

(i) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/ संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	लागू नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम(अधिनियमों) की धारा(धाराए) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(घ)	न्यायालय, जिसके(जिनके) द्वारा आरोप(आरोपों) की विरचना की गई	लागू नहीं
(ङ)	तारीख(तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	लागू नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/है	लागू नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला(मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/है जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है

{पूर्वांकित}

मदद(i) में वर्णित मामलों से भिन्न)-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहा न्यायालय ने संज्ञान लिया है अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराए) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	लागू नहीं
(ग)	पूर्वोंकित आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील(अपीलों)/आवेदन(आवेदनों)(यदि कोइ हो) के ब्यौरे	लागू नहीं



मुझे किसी अपराध(अपराधों)(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951(1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट या उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है-

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है-

(क)	उन मामलों के ब्यौरे अधिनियम (अधिनियमों) की धारा(धाराएं) और अपराध(अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके(जिनके) लिए सिद्धोष ठहराया गया है	लागु नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागु नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	लागु नहीं
(घ)	क्या सिद्धोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	लागु नहीं

(7). मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आरितयों(जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख स्कीम बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित

ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के

अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 75क के अधीन

स्पष्टीकरण(5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिये जाने हैं।



क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	हाथ में नकदी	100000/- 5000/-	5000/-	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं) वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	कुल जमा 7,65000/- 2513119/- PNB. J/S B.O.B. J/S BO-I. J/S Cauhan Bank	कुल जमा 412000/- 2513119/- P.N.B. J/S B.O.B. J/S B.O.I. J/S Cauhan Bank	1000/- 2513119/- P.N.B. J/S B.O.B. J/S B.O.I. J/S Cauhan Bank	लागु नहीं	लागु नहीं
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	25000/- शेयर Power Grid RIL	शेयर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम।	5.3% 1.4% 200000/- Bajaj Allianz 55980/-	रिलायंस 600000/- 600000/-	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम।	शेयर	शेयर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत(मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	मालवी शाल्व 2007 305000/- BRIAH 6080	शेयर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं)(भार और मूल्य के ब्यौरे)	शेयर	50 ग्राम तक 150000/- 60	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शेयर	शेयर	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं
(ix)	समग्र कुल मूल्य	1540980/- 1450980/-	627000/- 60	लागु नहीं	लागु नहीं	लागु नहीं

	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25-प 1500000=00		25-प	25-प	25-प
	चणिन्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
(iii)	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	विकास, सनिमाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	25-प	25-प	25-प	25-प	25-प
	आवासीय भवन(अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति(अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक(संख्याएँ)	25-प मध्यपुर आधिकार आग्रहित जाहाजबाद		लागू नहीं	लागू करी	लागू नहीं
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	25-प 2543कि.फुट	25-प	25-प	25-प	25-प
(iv)	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	25-प 950कि.फुट	25-प	25-प	25-प	25-प
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हा या नहीं)	25-प नहीं	25-प	25-प	25-प	25-प
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	25-प उमरी 2001	25-प	25-प	25-प	25-प


GOV

	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	पुनर्म	उपर्यार	उत्तर्य	पुनर्म	व्युत्पन्न
	विकास, सनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	3000000/-	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	पुनर्म	1500000/- कुल रकम 1500000/-	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
(v)	अन्य(जैसे कि संपत्ति में हित)	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
(vi)	पूर्वोत्तर (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	2800000/- पुनर्म	1737000/- 3000000/- पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म

(8). मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ-

(टिप्पण - कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का
पृथक् विवरण दें)

क्रम सं	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था(संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति)	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
	कोई अन्य दायित्व	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
(ii)	दायित्वों का कुल योग	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
	सरकारी शोध्य - सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म	पुनर्म



	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सरकारी परिवहन(वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	आय-कर शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	धनकर शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	सेवाकर शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	विक्रयकर शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
	कोई अन्य शोध्य	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का चर्णन करें।	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ	शुभ

(9). वृति या उपजीविका के ब्यौरे:-

(क) स्वयं पैदान क्रमानुसार पाए जानाचारी

सामाजिक कार्य

(ख) पति या पत्नी.....

जृष्णी

(10). मेरी शैक्षिक अहर्ता नीचे दिये अनुसार हैं-

कैनून-उच्चतम बड़ी नियमित विधि, विद्या, विद्यालय (आवश्य) क्षमित्वात्मक प्रणाली, विद्यालय, विद्यालय, पठनाविधि १९६४, पाठ्यक्रम पठनाविधि १९७७

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

भाग-ख

(11). भाग-क के (1) से (10) तक दिये गये व्यौरे का उद्धरण

1	अध्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमा॒र/चन्द्र/बूषण/विहारी		
2	डाक का पता	आ॒धीनपा॒र, जाहानाबा॒द, जि॒-जाहानाबा॒द, ४३५५०४८ (बिहार)		
3	निवासन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	उ॒०, जाहानाबा॒द (बिहार) उ॒०, जाहानाबा॒द (बिहार)		
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अध्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखे)	आ॒म आ॒दमी पा॒र्टी		
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	२५		
5	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है(उपर मद (1) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	२५		
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दोषित किया गया है(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा(1), उपधारा(2) या उपधारा(3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवांग)	२५		
7का स्थायी लेखा संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अध्यर्थी AJLPS 85%P	2012-13	1355452/-	
	(ख) पति/या पत्नी DKDPS 5704K	2012-13	२५	
	(ग) माश्रित	लाहुगढ़ी	लाहु नदी	लाहु नदी



8	आस्तियों और दायित्वों के ब्लौरे(रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां(कुल मूल्य) स्थावर आस्तियां	1540980 = ०८८ 25-5	627000 = ०६७ मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
ख	I	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	237000 = ०५ मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
	II	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत(यदि लागू हो)	3000000 = ०० मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
	III	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	3000000 = ०० मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां(कुल मूल्य)	3000000 = ०० 2500000 = ०० मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
9	दायित्व		25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
	(i)	सरकारी शोध्य(कुल ०	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है						
10	(i)	सरकारी शोध्य(कुल ०	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण(कुल)	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य	25-5 मुन्य
11	उच्चम शैक्षिक अहस्ति - हम एव्हरी, मीडिया, मीडिया एव्हरी					
	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चम विद्यालय/ विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्लौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्लौरा है)					

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि -

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोइ दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख..... २६/१२/१५..... को सत्यापित किया गया।

*Yashpal Singh Alleged
26/12/15*

पंडित

अभिसाक्षी

टिप्पण - 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन की 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम चर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण - 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो यथास्थित शून्य या लागू नहीं होता उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण - 4. शपथपत्र टॉकित या सुपाठयरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य के मामले में अध्यर्थीयों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अध्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जॉच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी अध्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो शून्य या लागू नहीं या ज्ञात नहीं जो उपयुक्त हो ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अध्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण - 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

मेरा दूरधाव संपर्क संख्या/संख्याएं है/हैं ०९४३१०८४८४७

मेरा ई-मेल आईडी(अगर कोई हो) है cbsharma48@gmail.com

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट(अगर कोई हो) है 400.WL100.BOOK.COM/dr.c.b.Sharma.48

Authorised JIS 2(u) n
(The Notarisation No. 153 of 1952)

NOTARY
Chandana 20/12/2015

